6204 D 25 P.

23041988

Purchase

पच्चीस पैसे पच्चीस पैसे

भारत

TWENTY FIVE PAISE

मैं कि मैं पुत्र गुपाल निवासी मनकेपुर मौजा छटवाखन मुस्तकिल पराना व जिला आगरा विक्रेता फारीक अव्वल । व सहकारी आवास समिति लि० आगरा रजिस्टेशन नम्बर ९०२ वकरिये समापति श्री ... श्री ओम प्रकाश गर्ग पुत्र श्री रतनलाल निवासी घटिया नगीरवाँ आगरा क्रेता फारीक दोयम ।

बाँ कि आराजी के रकबा १४४४ पोइन्ट ३६७ वर्ग मीटर खसरा नम्बर १२५ व १२७ व १२८ कटा ३, ५२ कटा २ व १५८ कटा १ वाके मौजा छटवाखन मुस्तकिल तफसील व जिला आगरा में वाया फारीक अव्वल एक कटा बारह भाग का तन्हा मालिक कामिल काबिज व दखील मुमिबर है और फारीक अव्वल को अपने हिस्से की आराजी की वाक्त कुमसा अख्यारात मालिकाना हर किस्म रहन वे हाँ हिल है और उक्त आराजी आज तक हर किस्म के कर्जे बोझ से पाक साफ है कहीं रहन में गिरवी जेरबार बोझ नहीं है । अगर बाद तफसील बैनामा हजा कोई गलत बयानी फारीक अव्वल की पाई जावे तो वह मुहाफिल जुमे चोटा सही व का फारेब व झूठनी साबित का जिम्मेदार होगा । अब फारीक अव्वल-विक्रेता को अपने हिस्से की आराजी का बेचना वक्त फारीक दोयम के मंजूर है । लिहाजा फारीक अव्वल ने बतौर समझौता बिना किसी धोखा या दबाव के अपने हिस्से की कुल आराजी हदे चिहद्दी मुबलिग ४५००० रुपया अक्षरीय पैंतालीस हजार रुपया कि जो आवे जिनके मुबलिग २२५०० रुपया अक्षरीय बाईस हजार पाँच सौ रुपया होते हैं वक्त सहकारी आवास समिति लि० आगरा क्रेता फारीक दोयम को बे कसर की और बेचदी । कीमत का कुल रुपया पेश्तर वक्त पास हुए कब्जा व दखल वाक्ए उपर समिति का जमीन मुबैया पर करा दिया और क्रेता फारीक दोयम समिति को आराजी मंजूर का मालिक कामिल काबिज व दखील बना दिया । अब खरीदार वक्त समिति को अधिकार है कि आराजीमुबैया मंजूर से वसीयत मालिक चाहे बैय मुस्तपादिद करे और कुमसा अख्यारात मालिकाना हर किस्म रहन वे अमल में लावे और अपने नाम का दाखिल खारिज मालगुजारी गाँव सरकारी में करा ले ।

44000-
1000-
45000-

25 P.

पच्चीस पैसे

भारत

TWENTY FIVE PAISE

-२-

कार कोई बार साबित हो या किसी भी दीगर वजह से कब्जा कुल या कुल जमीन मुकैया का खरीदार से निकल जावे या प्रथम फरीक के अलावा कोई दीगर शख्स अपना हक या हिस्सा जाहिर या साबित करे या फरीकेन बायम इंता के दावा व मुकद्दमा करे तो इसका हर्जा में बयानवाली बकाया व अदायगी जर समन मय खर्चा खर्चा व हुदूद कानूनी आदि के जिम्मे फरीक अव्वल बिक्रेता के होगी। अगर फरीक बायम ने जमीन मंजूर अपने सदस्यों को वितरण करने के लिये क्रय की है और इस विक्रय पत्र का सरपा समिति ने स्वयं वहन किया है। धारा २६ के अन्तर्गत किये जाने वाले नोटिस का प्रारूप नोटिस संख्या ४२२।८८ दिनांक ३०-९-८८ है जो वक्त इस बैनामा के साथ संलग्न है।

अतः यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। मफाद तहरीर तारीख २५ अप्रैल सन १९८८ ई० बमकाम श्री रामेश्वरदयाल व बंसल वसीका नवीस दारुल यमुना बाजार।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com